संख्या- **2/2025/** वित्तीय वर्ष 2025- 26 में भण्डारण योजनान्तर्गत

(I/ 1051057657/2025)

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 14 अगस्त, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025- 26 में भण्डारण योजनान्तर्गत प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पैक्स) के गोदामों का सुदृढ़ीकरण व मरम्मत हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-I/234706/2025/लेखा-अ/2025-26/आय-व्ययक, दिनांक 08 अगस्त, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय- व्ययक में " भण्डारण योजनान्तर्गत प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पैक्स) के गोदामों का सुदृढ़ीकरण व मरम्मत " हेतु प्राविधानित कुल धनराशि रूपये 3000.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि 750.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025- 26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखाशीर्षक-2425-सहकारिता, 108-अन्य सहकारी समितियों को सहायता, 03-भण्डारण योजनान्तर्गत प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पैक्स) के गोदामों का सुदृढ़ीकरण व मरम्मत, 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रूपये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3000.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि रूपये 750.00 लाख (रूपये सात करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने हेतु मा0 राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) उक्त योजना के अन्तर्गत आंवटित की गयी धनराशि का व्यय मरम्मत/ सुदृढ़ीकरण पर ही किया जायेगा, अन्य किसी भी मद में धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त योजनान्तर्गत गोदाम सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत कार्य में व्यय हुई धनराशि के अभिलेख समितिवार जनपदीय कार्यालय में रखे जायेंगे।

(3) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान यह सुनिश्चित किया जायेगा कि धनराशि का व्यय योजना हेतु निर्धारित दिशा निर्देश/गाइडलाईन्स के अनुरूप है।

(4) निर्गत धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायितव आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता, उ०प्र०, लखनऊ का होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी- 1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-I/1047200/2025 , दिनांक 05 अगस्त, 2025 के प्राविधानों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

3 - इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रूपये 750.00 लाख (रूपये सात करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखाशीर्षक 2425001080300 भण्डारण योजनान्तर्गत प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पैक्स) के गोदामों का सुदृढ़ीकरण व मरम्मत मानक मद - 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4 - यह आदेश वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी- 1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- /2025/ /001-Gwd 75(।), तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2) महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4) अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(ग्रा0 गो0), सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ।
5) वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ ।
6) वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ ।
7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन ।
8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।